

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, खगड़िया।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र सं०-पं०नि० 30-200/2021-3262 दिनांक-24.08.2021 एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-4715/पं० रा० दिनांक-24.08.2021 के द्वारा पंचायत आम चुनाव 2021 की अधिसूचना हो चुकी है। पंचायत आम चुनाव 2021 की अधिसूचना की तिथि 24.08.2021 से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

खगड़िया जिलान्तर्गत कुल नौ चरणों में (द्वितीय से दशम चरण तक) मतगणना कार्य निर्धारित है। सप्तम चरण में दिनांक - 17.11.2021 से 18.11.2021 को खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया प्रखंड के कुल 12 (बारह) पंचायतों यथा बरैय, रानी सकरपुरा, बेला सिमरी, ओलापुर गंगौर, तैताराबाद, जलकौड़ा, जहाँगीरा, लाभगाँव, धुसमुरी विशनपुर, कासीमपुर, भदास दक्षिणी, भदास उत्तरी के लिए मतगणना कार्य कृषि उत्पादन बाजार समिति, खगड़िया में निर्धारित है। मतगणना के दौरान या मतगणना समाप्ति पर कृषि उत्पादन बाजार समिति, खगड़िया में विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना हो सकती है। जिसके कारण लोक-शांति भंग हो सकती है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाना यथोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं आलोक रंजन घोष, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया संतुष्ट होकर दिनांक 17.11.2021 को 05:00 बजे पूर्वाह्न से मतगणना कार्य समाप्ति तक कृषि उत्पादन बाजार समिति, खगड़िया के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आस-पास के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ :-

1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि-विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा।
2. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी/उनके समर्थकों के द्वारा विजय जुलूस अथवा अनाधिकृत जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी तथा विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, Whatsapp या SMS अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी को भी प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे।
6. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
7. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। (शस्त्र की परिभाषा के संबंध में भा०द०सं० की धारा-153।। में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है)।

- (क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
- (ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
8. किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
 9. वाहनों को इस्तेमाल केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन अधिनियम की धाराओं एवं एक साथ चलने वाले (काफिला) वाहनों की संख्या के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन होगा।
 10. वाहनों की परिभाषा वही होगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित है एवं वाहनों पर प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा। साथ ही वाहनों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से ही होगा।
 11. मतगणना के समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्तियों एवं वाहनों के संबंध में लगाई गई सीमाओं का दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
 12. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बरात पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
 13. मतगणना के दिन कोविड-19 के परिपेक्ष्य में निर्गत सभी निर्देशों का निरन्तर अनुपालन किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ आज दिनांक 16.11.2021 को निर्गत किया जाता है। यह आदेश मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगा।

२०/-
जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

- ज्ञापांक - 1-16/2021/138 /वि०व्य०को०, दिनांक- 16-11-2021
- प्रतिलिपि : सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग, खगड़िया/पलाईंग स्कॉयड/स्टेटिक सर्विलांस टीम/मीडिया-सह-एम०सी०सी० कोषांग, खगड़िया/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला जनसम्पर्क

पदाधिकारी, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अपर समाहर्ता, खगड़िया/अपर समाहर्ता -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



